



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179090

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7857

सन् 2026

मोहम्मद रिज़वान उर्फ़ काला बाबू

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : मोहम्मद समनानी अली, मो. राघिब अली, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, सुशील कुमार दुबे

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मो. राघिब अली के सहयोग से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सगीर अहमद, सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार दुबे की ओर से उपस्थित श्री संजीव कुमार शुक्ला, और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. आज दाखिल किया गया अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया।
3. यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 234 सन् 2023, अन्तर्गत धारा 302 और 34 बीएनएस, थाना- ब्रह्मपुरी, जिला मेरठ में अग्रिम जमानत दिए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह बेगुनाह है और उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। दिनांक 8.7.2023 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों के नाम शामिल थे। आगे यह भी कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुल सात लोगों के नाम थे, लेकिन जाँच के दौरान आवेदक और सह-अभियुक्त हाजी पप्पू उर्फ अफाक को बरी कर दिया गया और उनके खिलाफ कोई आरोप-पत्र दाखिल नहीं की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों ने कथित अपराध में हिस्सा लिया था। विवेचना अधिकारी ने विवेचना प्रारंभ की और दिनांक 19.8.2023 को इसे पूरा किया। विवेचना अधिकारी ने आवेदक को दोषमुक्त कर दिया और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल की। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया और उसके बाद प्रकरण सत्र न्यायालय में भेज दिया गया, जहाँ सह-अभियुक्तों पर आरोप तय किए गए। उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया और विचारण का सामना करने का दावा किया। आगे यह भी कहा गया है कि आरोप तय होने के बाद, अभियोजन पक्षकार ने सबूत पेश किए और विचारण के दौरान पीडब्लू-1-मुजाहिद, पीडब्लू-2-वसीम और पीडब्लू-3-मोहम्मद जीशान के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद, अभियोजन पक्ष ने आवेदक को आपराधिक विचारण का सामना करने हेतु तलब किए जाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 / बीएनएसएस की धारा 358 के तहत प्रार्थना पत्र दायर किया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 / बीएनएसएस की धारा 358 के अंतर्गत प्रस्तुत उक्त आवेदन को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.3.2026 के आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया। दिनांक 18.3.2026 का समन आदेश अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त हाजी पप्पू उर्फ अफाक, जिसे दिनांक 18.3.2026 के आदेश के माध्यम से तलब किया गया था, की नियमित जमानत इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 27698 सन् 2026 में दिनांक 10.8.2026 के आदेश के माध्यम से स्वीकार कर ली गई है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के दो प्रकरणों के आपराधिक इतिहास का शपथपत्र में विधिवत स्पष्टीकरण दिया गया है।

5. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि विवेचना अधिकारी ने आवेदक को दोषमुक्त कर दिया था और ठीक से विवेचना करने के बाद, कथित अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं पाई गई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



थी। अभियोजन पक्ष की मनमर्जी से आवेदक को इस प्रकरण में समन भेजा गया है। आवेदक आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार है। इस प्रकरण में विवेचना पहले ही पूरी हो चुकी है और कथित अपराध में आवेदक की कोई भूमिका नहीं पाई गई है। आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण न्यायालय के साथ सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

6. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, और सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, हालाँकि, वे तथ्यों पर कोई विवाद नहीं करते हैं। आवेदक द्वारा विवेचक को गुमराह किया गया था, इसलिए उसके खिलाफ कोई आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया। जबकि उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल था। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में था और उसके खिलाफ दिनांक 14.8.2026 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, इसलिए मौजूदा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

7. जवाब में, आवेदक की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता/ धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्यवाही आवेदक द्वारा अग्रिम जमानत की मौजूदा प्रार्थना पत्र दाखिल करने के बाद शुरू की गई थी। यह भी कहा गया कि आशा दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी (ऑनलाइन) एससी 5633 के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता/ 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्यवाही शुरू होने के बाद भी उचित प्रकरणों में अग्रिम जमानत दी जा सकती है। ऐसी कोई रोक नहीं है कि धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता/ धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्यवाही शुरू होने के बाद अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।

8. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।



9. आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में तो था, लेकिन उसके खिलाफ कोई आरोप-पत्र दाखिल नहीं की गई थी। विवेचना अधिकारी को कथित अपराध में आवेदक की कोई मिलीभगत नहीं मिली। विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 / बीएनएसएस की धारा 358 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसे आपराधिक विचारण का सामना करने के लिए समन भेजा है और आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि आवेदक अग्रिम ज़मानत पाने का हकदार है।

10. **अमन प्रीत सिंह बनाम सी.बी.आई, (2022) 13 एससीसी 764** प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

"11. ऊपर बताई गई बातों से पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते समय मजिस्ट्रेट के लिए यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। जिस मजिस्ट्रेट या न्यायालय को प्रकरण का संज्ञान लेने या अभियुक्त का विचारण करने का अधिकार है, उसे तुरंत आरोप-पत्र स्वीकार करना होगा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना होगा। यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे प्रकरण में मजिस्ट्रेट या न्यायालय को हमेशा समन जारी करना चाहिए, न कि गिरफ्तारी वारंट। यदि वह गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 87 के तहत कारण दर्ज करने होंगे कि अभियुक्त या तो फरार है या समन का पालन नहीं करेगा या उस पर समन की विधिवत तामील का प्रमाण होने के बावजूद उपस्थित होने से इनकार कर दिया है। वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त उप-पैरा (iii) में की गई टिप्पणियाँ सावधानी बरतने के बारे में हैं।

12. जहाँ तक मौजूदा प्रकरण और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के तहत सामान्य सिद्धांतों का सवाल है, सबसे उपयुक्त टिप्पणियाँ उच्च न्यायालय के निर्णय के उप-पैरा (v) में की गई टिप्पणियाँ, ऐसे अभियुक्त के संदर्भ में, जो अजमानतीय अपराध में अभियुक्त है और जिसकी विवेचना की अवधि के दौरान हिरासत आवश्यक नहीं थी, ऐसी स्थिति में, अभियुक्त को ज़मानत पर रिहा करना उचित है क्योंकि विवेचना के दौरान



उसकी गिरफ्तारी न होना या उसे हिरासत में पेश न किया जाना ही उसे ज़मानत पर रिहा होने का हकदार बनाता है। इसके पीछे का तर्क स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कई सालों से आज़ाद घूम रहा है और विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो सिर्फ़ इसलिए कि आरोप-पत्र दाखिल हो गई है, अचानक उसकी गिरफ्तारी और जेल भेजने का आदेश देना ज़मानत देने के मुख्य सिद्धांतों के खिलाफ़ होगा। हम इससे पूरी तरह सहमत हैं।"

11. अग्रिम ज़मानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांतों, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह पाया गया है कि आवेदक का प्रकरण ऊपर बताए गए फैसलों के दायरे में पूरी तरह आता है, इसलिए अग्रिम ज़मानत का प्रकरण बनता है।

12. तदनुसार, अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र को इन निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

(i) उपर्युक्त प्रकरण में शामिल आवेदक - **मोहम्मद रिज़वान उर्फ़ काला बाबू** - की गिरफ्तारी/उपस्थिति की स्थिति में, उसे विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, ₹50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करना होगा।

(ii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और निष्पक्ष विचारण के लिए जब भी ज़रूरत होगी, संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(iii) आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

13 किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदक को प्रदान की



गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सके।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

25 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।